☎ 2286710, 2286709
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः–4835/01/29/HFA-12/2017–18

दिनांकः–05 मार्च, 2018

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **प्रधानमत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत जनपदों को अवमुक्त धनराशि स्वीकृत लाभार्थियों को अन्तरित न किये जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जनपदों को दिनांक 17.10.2017 को रु0 298.965 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात् दिनांक 01.02.2018 को रु0 39. 225 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा समस्त लाभार्थियों को तत्काल जीरो लेवल जियो टैगिंग के पश्चात् राज्यांश की धनराशि में से प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 6785 लाभार्थियों को रु0 36.09 करोड़ की धनराशि ही अन्तरित की गयी है। यह अत्यन्त खेद का विषय है कि आपके द्वारा मा0 मंत्री जी की बैठक दिनांक 10.02.2018 में दिए गए निर्देश के लगभग एक माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी समस्त धनराशि जियो टैग हो चुके लाभार्थियों को अवमुक्त नहीं की गयी है, जो कि आपके द्वारा कार्य में लापरवाही का द्योतक है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा शासन के प्राथमिकता के कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में दिनांक 08.03.2018 तक उपलब्ध धनराशि के अनुसार लाभार्थियों के खाते में राज्यांश की धनराशि में से प्रथम किश्त की धनराशि रु0 50,000/– अन्तरित कर सूडा मुख्यालय को ई–मेल pmusuda@gmail.com पर अवगत कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि जब तक राज्यांश में उपलब्ध समस्त धनराशि लाभार्थियों को अन्तरित न कर दी जाए, तब तक परियोजना अधिकारी, डूडा का वेतन आहरित न किया जाये।
2. वित्त नियन्त्रक, सूडा, लखनऊ को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ को अनुश्रवण हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक